**भारत सरकार** **लोक सभा**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं. 3694**
**वाणिज्य विभाग**

**दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**
**आयात और डंपिंग**

**3694. सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वस्त्र, खिलौने, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइट इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में सस्ते चीनी आयात में हुई भारी वृद्धि की जानकारी है, जिससे भारतीय बाजार में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन से इन श्रेणियों के आयात की मात्रा और मूल्य का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू विनिर्माण इकाइयों, विशेषकर तमिलनाडु के करूर, तिरुप्पुर, कोयंबटूर और ईरोड एमएसएमई संकुलों जैसे समूहों पर इस वृद्धि के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) अण्डर- इनवायसिंग, उद्यम देश की भ्रामक घोषणा और शुल्क से बचने के लिए तीसरे देशों के माध्यम से चीनी सामान भेजने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और

(ङ) क्या सरकार का भारतीय उद्योग की संरक्षा के लिए एण्टी-डम्पिंग शुल्क, कठोर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) और बेहतर सीमा सुरक्षा निगरानी सहित कड़े व्यापारिक उपाय कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ) चीन से भारत का आयात विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में फैला हुआ है। कच्चे माल की श्रेणी में, भारत लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व आदि जैसे उत्पादों का आयात करता है जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए आवश्यक इनपुट हैं। इसके अलावा, मध्यवर्ती वस्तुओं, पूंजीगत उपकरणों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का आयात घरेलू उत्पादन और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ गहरे जुड़ाव में मदद करता है, विशेष रूप से ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स (विशेष रूप से सेमीकंडक्टर) और उन्नत विनिर्माण जैसे कार्यनीतिक क्षेत्रों में इसके साथ ही यह अवसंरचना के विकास, निवेश और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुविधाजनक बनाता है। जबकि देश के तीव्र आर्थिक विकास, औद्योगीकरण और शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले बढ़ती घरेलू मांग को भी पूरा करता है।

सरकार ने प्रमुख कार्यनीतिक क्षेत्रों में मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं जैसी कई पहलों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं, संसाधन विकास और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को सक्रिय रूप से मजबूत किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन से वस्त्र (अध्याय 50 से 63), खिलौने (अध्याय 95), प्लास्टिक (अध्याय 39), इंजीनियरिंग सामान (अध्याय 84 और 85) के तहत वस्तुओं के आयात मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

| क्षेत्र | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|
| वस्त्र | 3.68 | 3.64 | 4.46 |
| खिलौने | 0.26 | 0.29 | 0.35 |
| प्लास्टिक | 5.67 | 6.34 | 6.71 |
| इंजीनियरिंग | 53.83 | 63.95 | 75.82 |

अंडर-इनवॉइसिंग (कम मूल्य दिखाना), मूल देश की गलत घोषणा करना, और शुल्क से बचने के लिए तीसरे देशों के माध्यम से चीनी सामान भेजने की प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) सीमा शुल्क चोरी से जुड़े मामलों की निगरानी और जांच करता है। इसमें कम कीमत दिखाना, विवरण, मात्रा, मूल्य और उद्यम देश की भ्रामक घोषणा करना, तथा लागू सीमा शुल्क और व्यापार नीति उपायों से बचने के लिए तीसरे देशों के माध्यम से वस्तुओं को भेजने के प्रयास शामिल हैं।

विशिष्ट आसूचना के आधार पर, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ऐसी धोखाधड़ी वाली प्रथाओं के विरुद्ध लक्षित जांच और प्रवर्तन कार्रवाई करता है। डेटा एनालिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से खुफिया जानकारी विकसित की जाती है। जहाँ कहीं भी उल्लंघन का पता चलता है, वहां सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें माल की जब्ती, जांच शुरू करना, शुल्क की वसूली और जहां कहीं आवश्यक हो, अभियोजन शामिल है।

सरकार ने घटिया आयात को रोकने और गुणवत्तापूर्ण वाले उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सख्त गुणवत्ता मानक, गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणीकरण की शुरूआत की है। कई उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लागू किए गए हैं ताकि घटिया उत्पादों के आयात और विनिर्माण पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त, जहां भी आवश्यकता होती है, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) जांच करता है और एंटी- डम्पिंग और प्रतिकारी शुल्क लगाता है।

****